RAJASTHAN



पट्टा विलेख 5708

यह पट्टा विलेख आज दिनांक 31.7.13 को कृषि उपज मण्डी समिति बहरोड़ (जिसे कि इसमें आगे प्रथम पक्ष या "पटटादाता" से सम्बोधित किया गया है) तथा श्री/मैसर्स रेवमचन्द छोटु चमनी बहरोड़ (पूर्ण पता व विवरण) (जिसे कि इसमें आगे द्वितीय पक्ष या "पटटाधारी" कहा गया है) के मध्य विलेखित किया जा रहा है।

चूँकि द्वितीय पक्ष को मण्डी प्रांगण में दुकान/दुकान मय प्लेटफार्म व मय गोदाम/गोदाम निर्माण हेतु भूखण्ड संख्या 43 /ब्लॉक संख्या ए साईज 15'9"X47'6" क्षेत्रफल 748.125 राशि 845381 रुपये पर 99 वर्षीय लीज पर आवंटित किया गया है।

और चूँकि द्वितीय पक्ष ने उक्त राशि रुपये 845381=00 एवं ~~प्रथम वर्ष की देय~~/एक मुश्त देय लीज राशि 845538 रुपये मण्डी समिति में रसीद संख्या 03147 दिनांक 19.6.13 से जमा करवा दी है तथा निर्धारित लीज पर राशि प्रतिवर्ष जमा कराने को सहमत है।

अतः यह विलेख निम्न शर्तों का साक्षी है तथा उभय पक्ष निम्न करार करते हैं :-

1. यह आवंटन, अचल सम्पत्ति आवंटन नीति 2005 एवं इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अधीन होगा।
2. यह कि यह पटटा 99 वर्ष के लिये प्रभावी रहेगाा तथा पटटा विलेख प्रभावी रहने की अवधि में हस्तान्तरित भूमि के सम्बन्ध में या पटटाधारी द्वारा उस पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में पटटा धारी सभी प्रकार के संदेय तथा तत्पश्चात देय होने वाले सभी प्रकार के शुल्क, अधिभार, उपशुल्क, कर और प्रभार इत्यादि अदा करेगा।
3. पटटा धारी द्वितीय पक्ष, पटटा दाता प्रथम पक्ष को भूखण्ड की आरक्षित राशि के 1 प्रतिशत के बराबर वार्षिक लीज राशि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अग्रिम भुगतान करेगा। उक्त वार्षिक लीज राशि उसी वर्ष 30 अप्रेल तक 15 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ जमा कराई जा सकेगी। इसके पश्चात पटटा दाता को यह अधिकार होगा कि वह पटटा विलेख बिना किसी नोटिस के निरस्त कर सकेगा। इस विलेख के निष्पादन के बाद प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात उक्त लीज राशि में 25 प्रतिशत राशि बढ़ा दी जावेगी तथा पटटाधारी उक्त बढ़ी हुई राशि प्रत्येक वर्ष ऊपर वर्णित शर्तानुसार अदा करेगा।
4. 10 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर आवंटी को शेष अवधि की लीज राशि से मुक्ति होगी।

उप वंजीयक, बहरोड़
जिला- अलवर (राज.)

5. बिजली/पानी/टेलीफोन के कनेक्शन आवश्यकतानुरुप संबंधित विभाग से द्वितीय पक्ष द्वारा ही लिये जावेंगें एवं उसकी उपयोग राशि के चार्जेज सम्बन्धित विभाग में जमा की, जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। गृहकर/नगरीय कर तथा अन्य कोई कर, अधिशुल्क जो कि किसी स्थानीय निकाय द्वारा अथवा सरकार द्वारा लगाये जावेंगे, के भुगतान की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी इस सम्बन्ध में प्रथम पक्ष पर पड़ने वाला किसी प्रकार का वित्तीय भार द्वितीय पक्ष से वसूलनीय होगा।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति

Internal

...जकुमार झालानी स्टाम्प विक्रेता

बेरथल (अलवर) लाईसेन्स नं०-90/2000

पंजि० क्रम सं०... 4539 दिनांक... 18/12/23

मुद्रांक वेल्यू... क्रम सं०...

मुद्रांक क्रेता का नाम...

पुत्र/पत्नी का नाम...

जाति... निवासी ... तह०... ...

जिला... वास्ते

हस्ते क्रय की दशा में हस्ते का नाम पता... ...

विशेष:

क्रेता/हस्ते के ह०

विक्रेता के ह०

6. प्रथम चरण में आवंटित भूखंड पर निर्मित दुकान/दुकान मय गोदाम आदि पर विज्ञप्ति कृषि जिन्स का व्यवसाय करने हेतु उपयोग नहीं करता है और मंडी समिति द्वारा जारी अनुज्ञापत्र मंडी समिति को समर्पित कर देता है तो द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वो उसके द्वारा अनुज्ञापत्र समर्पित करने के 3 माह के अन्दर ऐसे व्यक्ति/फर्म को भूखण्ड हस्तांतरित कर सकेगा। जो कि मण्डी समिति का अनुज्ञापत्रधारी हो तथा विज्ञप्त कृषि जिन्स का व्यवसाय करता हो, परन्तु ऐसा हस्तान्तरण प्रथम पक्ष की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। ऐसे परिवर्तन के समय मासिक आवंटन शुल्क पर आवंटित लीज में परिवर्तन की भांति अन्य फर्म/व्यक्ति को विक्रय करने पर भूमि की कीमत एवं दुकान की निर्माण लागत के पेटे भुगतान की गई राशि के 5 प्रतिशत के बराबर राशि परिवर्तन शुल्क के रुप में अदा करने पर हस्तान्तरण की जा सकेगी। ऐसा हस्तान्तरण पट्टे की शेष अवधि के लिये ही विधि–मान्य होगा तथा ऐसे हस्तान्तरिती पर इस पट्टा विलेख की सभी शर्तें लागू होंगी।

7. द्वितीय पक्ष आवंटित भूखण्ड का मण्डी समिति द्वारा निर्धारित उददेश्य के अनुरुप उपयोग कर सकेगा। इसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

8. आवंटित भूखण्ड पर दुकान/दुकान मय गोदाम/गोदाम आदि का निर्माण मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार द्वितीय पक्ष को कराना होगा तथा इन्हें भी मण्डी समिति के निर्देशानुसार कराना होगा तथा भूखण्ड दुकान/दुकान मय गोदाम/गोदाम का सब डिवीजन नहीं किया जा सकेगा।

9. द्वितीय पक्ष आवंटित भूखण्ड पर दुकान/दुकान मय गोदाम/गोदाम का निर्माण भूखण्ड का कब्जा दिये जाने की तिथि से 9 माह की अवधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि में निर्माण कराकर व्यवसाय शुरु नहीं करने पर मण्डी समिति समुचित कारण होने पर द्वितीय पक्ष को 3 माह का अतिरिक्त समय बढाने की स्वीकृति आवंटन राशि के 5 प्रतिशत शास्ति जमा कराने पर दे सकेगी। भुखण्ड का कब्जा दिये जाने की तिथि से 9 माह एवं अतिरिक्त समय 3 माह में निर्माण कार्य पूर्ण कर व्यवसाय शुरु नहीं कराये जाने पर पक्ष को द्वितीय पक्ष की समस्त जमा राशि को जब्त करने तथा भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

10. द्वितीय पक्ष आवंटित भूखण्ड पर निर्मित दुकान/दुकान मय गोदाम/गोदाम आदि का उपयोग केवल अधिसूचित कृषि जिन्सों का व्यवसाय करने हेतु मण्डी समिति द्वारा जारी अनुज्ञापत्र अथवा आवंटन के समय निर्धारित प्रयोजनार्थ ही उपयोग कर सकेगा।

11. द्वितीय पक्ष यदि द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों में आवंटित भूखण्ड पर निर्मित दुकान/दुकान मय गोदाम/गोदाम आदि पर विज्ञप्ति कृषि जिन्सों का व्यवसाय करने हेतु उपयोग नहीं करता है और मण्डी समिति द्वारा जारी अनुज्ञापत्र मण्डी समिति को समर्पित कर देता है तो द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वो उसके द्वारा अनुज्ञापत्र समर्पित करने के 3 माह के अन्दर ऐसे व्यक्ति/फर्म को भूखण्ड हस्तान्तरित कर सकेगा जो कि मण्डी समिति का अनुज्ञापत्रधारी हो तथा विज्ञप्ति कृषि जिन्स का व्यवसाय करता हो परन्तु ऐसा हस्तान्तरण प्रथम पक्ष की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। ऐसे परिवर्तन के समय देय वार्षिक लीज राशि की दस गुना राशि के समतुल्य राशि परिवर्तन शुल्क के रूप में देय होगी। ऐसा हस्तान्तरण पट्टे की शेष अवधि के लिये ही विधि मान्य होगा तथा ऐसे हस्तान्तरिती पर पट्टा विलेख की सभी शर्तें लागू होंगी।

उप पंजीयक, बहरोड़
जिला- बलवर (राज.)

9/21

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति

Internal

12. द्वितीय पक्ष, आवंटित भूखण्ड पर निर्मित दुकान आदि पर मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन/संवर्धन नहीं करेगा। आवंटी फर्म द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में मण्डी समिति की पूर्वानुमति से अपनी निर्मित दुकान/भूखण्ड किराये पर दी जा सकेगी। लेकिन किराये पर दुकान विज्ञप्त कृषि जिन्स के अनुज्ञापत्रधारी को ही दी जा सकेगी। आवंटी दुकान/भूखण्ड का पार्टीशन कर ऐसा नहीं कर सकेगा।

13. मण्डी प्रांगण में 99 वर्ष की लीज पर आवंटित दुकानों/भूखण्डों की छत का अधिकार संबंधित आवंटी का होगा। परन्तु आवंटी द्वारा प्रथम तल पर निर्माण मण्डी समिति के प्रस्तावानुसार निर्धारित टाईप डिजाइन अनुरूप निदेशालय की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।

14. द्वितीय पक्ष, मण्डी समिति को अपनी दुकान व गोदाम का निरीक्षण करने, रिकार्ड देखने, राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 नियम एवं उपविधियों के तहत कार्यवाही करने में बाधा नहीं डालेगा।

15. द्वितीय पक्ष भूखण्ड पर निर्माण हो जाने पर अग्नि दुर्घटना बीमा करवायेगा एवं इसकी सूचना प्रथम पक्ष को देगा तथा हर समय बीमा रखेगा और दूकान में अग्निशमन यंत्र चालू हालत में रखेगा।

16. द्वितीय पक्ष, राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बने नियम तथा उप विधियों के प्रावधानों, राज्य सरकार एवं प्रथम पक्ष के आदेशों एवं निर्णय की अनुपालना करने हेतु बाध्य होगा।

17. द्वितीय पक्ष द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष को स्वीकृत लीज को निरस्त देवें। लीज निरस्त करने की दशा में प्रथम पक्ष पटटा दाता को यह अधिकार होगा कि वह भूमि व उस पर किये गये निर्माण को जब्त कर कब्जा प्राप्त कर लेवें तथा ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार का मुआवजा या हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

18. यह पटटा विलेख 99 वर्ष के लिये प्रभावी होगा। 99 वर्ष के पश्चात द्वितीय पक्ष भूखण्ड मय उसके निर्माण के वापिस प्रथम पक्ष को संभला देगा तथा द्वितीय पक्ष को इसके बदले कोई हर्जाना या उसके द्वारा जमा कराई गई राशि वापिस नहीं लौटाई जावेगी। प्रथम पक्ष की सहमति से पटटा विलेख का एक बार में 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा तथा उक्त अवधि के लिये मण्डी समिति को बढ़ी हुई निर्धारित लीज राशि देय होगी।

19. इस लीज के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने पर मामला निदेशक, कृषि विपणन को निर्णय हेतु प्रेषित किया जावेगा जिसका निपटारा करने का उन्हें अधिकार होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम एवं उभय पक्ष पर बाध्यकारी होगा।

20. इस पटटा विलेख हेतु मुद्रॉक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा।

पटटाधारी (द्वितीय पक्ष) के हस्ताक्षर

पटटा दाता (प्रथम पक्ष) की ओर से हस्ताक्षर

साक्ष्य: 1.

2.

अध्यक्ष

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल

उप पंजीयक, बहरोड़
जिला- अलवर (राज.)

Internal

आज दिनांक 30 माह October सन् 2013 को 16:35 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री KAILASH CHADN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HEERA LAL
उम्र 48 वर्ष, जाति * व्यवसाय
निवासी KAIRTHAL,ALWAR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, BEHROR
(2013006824)
(Lease deed for local bodies (Patta))

रसीद नं0 2013006218 दिनांक 30/10/2013
पंजीयन शुल्क रू0 10150/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 5080/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 50630/-
कुल योग रू0 66160/-

(2013006824) उप पंजीयक, BEHROR
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक 30/10/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 483
में पृष्ठ संख्या 182 क्रम संख्या 2013005708 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1199
के पृष्ठ संख्या 158 से 162 पर
चस्पा किया गया।

(2013006824) उप पंजीयक, BEHROR
(Lease deed for local bodies (Patta))

Internal

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
1-KAILASH CHADN/HEERA LAL
Age:48, Caste-*
Ocu.-
R/O-KAIRTHAL,ALWAR





(And Claimant)
1-KHEM CHAND & COM. KHEM CHAND/GULJHARI LAL
Age:48, Caste-MAHAJAN
Ocu.-*
R/O-BEHROR





ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 1014457/– पूर्व में/मेरे
समक्ष/मे सें रू0 1014457/–पूर्व में _____
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री/श्रीमती/सुश्री SUBHASH
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAXMI NARAYAN उम्र 45 वर्ष
जाति AHIR व्यवसाय *
निवासी VILL.MOLAWAS,MUNDAWAR ने की है जिनके



समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2013006824)
(Lease deed for local bodies (Patta))

उप पंजीयक, BEHROR

Internal



भारतीय गैर न्यायि
भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

3658/18

K 280017

।। श्री राम जी।।

बयनामा मु. 25,00,000/– रुपये

1 विकेता/प्रथम पक्षः– मैसर्स खेमचन्द एण्ड कम्पनी– गौण मण्डी यार्ड बहरोड जिला अलवर (राज.) द्वारा प्रोपराईटर– खेमचन्द उम्र 53 साल पुत्र श्री गुलजारीलाल जाति महाजन निवासी शाहजहांपुर, तहसील नीमराना जिला अलवर (राज.) आधार नं. 437675942348

केता/द्वितीय पक्षः– मैसर्स साहिल ट्रेडिंग कम्पनी– गौण मण्डी यार्ड बहरोड जिला अलवर (राज.) द्वारा प्रोपराईटर– संजय सिंह उम्र 26 साल पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी खोहरी तहसील बहरोड जिला अलवर (राज.)
मो.न. 8426037162, PAN- GSCPS2934H





भूखण्ड का विवरणः– जो कि गौण मण्डी यार्ड बहरोड जिला अलवर (राज.) मे एक किता दुकान वाणिज्यिक भुखण्ड सख्या ए–43,ब्लाक संख्या ए,साईज 15 फुट 9 इंच X 47 फुट 6 इंच है। जिस भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 748.125 वर्ग फुट अर्थात 83.12 वर्ग गज है, इसमे आरसीसी लैंटर से ग्राउण्ड फ्लोर एवं

उप पंजीयक, बहरोड़
जिला- अलवर (राज.)

Internal

भाग मुद्रांक विक्रेता राजेश सिंह चौहान अनुज्ञप्ति सं.192/2005

स्टाम्प जारी क्रमांक 894 दिनांक 17-12-18

श्री संजय सिंह इन्द्रसिंह उम्र 26

निवासी खाहरी खुर्द वकालत

जरिये वर्चस्व 1000 स्टाम्प चेंबर

हस्ताक्षर मुद्रांक विक्रेता वेण्डर

हस्ताक्षर क्रेता संजयसिंह

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार	
1. आधार	100
2. गाय और उसकी संतति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु	100
कुल योग	200

वेण्डर

500×10 = 5000/-

स्टाम्प पेपर = 1000

6000/-



Internal

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN K 280021

70 यादव वसीका नवीस, बहरोड के रजिस्टर संख्या 1820 पर दर्ज किया गया है । यह बयनामा कहे विक्रेता के लिखपढ कर सुनाया व समझाया गया है। नोटः दस्तावेज भविष्य मे अपठनीय व अस्पष्ट होने पर मुद्रांक व पंजीयन विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नही होगा ।

74 दिनांक :- 17/12/2018

ह0 केता:- ह0 विक्रेता:-

गवाहनं 1 कृष्ण यादव उम्र 32 साल पुत्र श्री तोताराम जाति अहीर निवासी खोहरी तहसील बहरोड जिला अलवर (राज.) आधार नं. 352633668553

गवाह नं. 2 हनुमानसिंह उम्र 51 साल पुत्र श्री फूलसिंह जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड जिला अलवर (राज.) आधार नं. 929244385824

महेश कुमार
प्रसाद नवीस (L.N 262/DR)
तहसील बहरोड (राज.) 9829731127

Internal

नाम मुद्रांक विक्रेता राकेश सिंह चौहान लाइसेंस सं.192/2005

स्टाम्प जारी क्रमांक 894 दिनांक 17-12-18

श्री संजय सिंह इन्द्र सिंह उम्र 26

निवासी खोदरी खेड़ी वास्ते कंपनी

जरिये स्टाम्प 1000 स्टाम्प नंबर.....

रामधन

हस्ताक्षर मुद्रांक विक्रेता मय रोड

हस्ताक्षर क्रेता

संजय यादव

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत
स्टाम्प शुल्क पर प्रभारित अतिरिक्त

1. आपसी [illegible]	100
2. गांव और [illegible]	100
कुल योग	200

रामधन वेण्डर

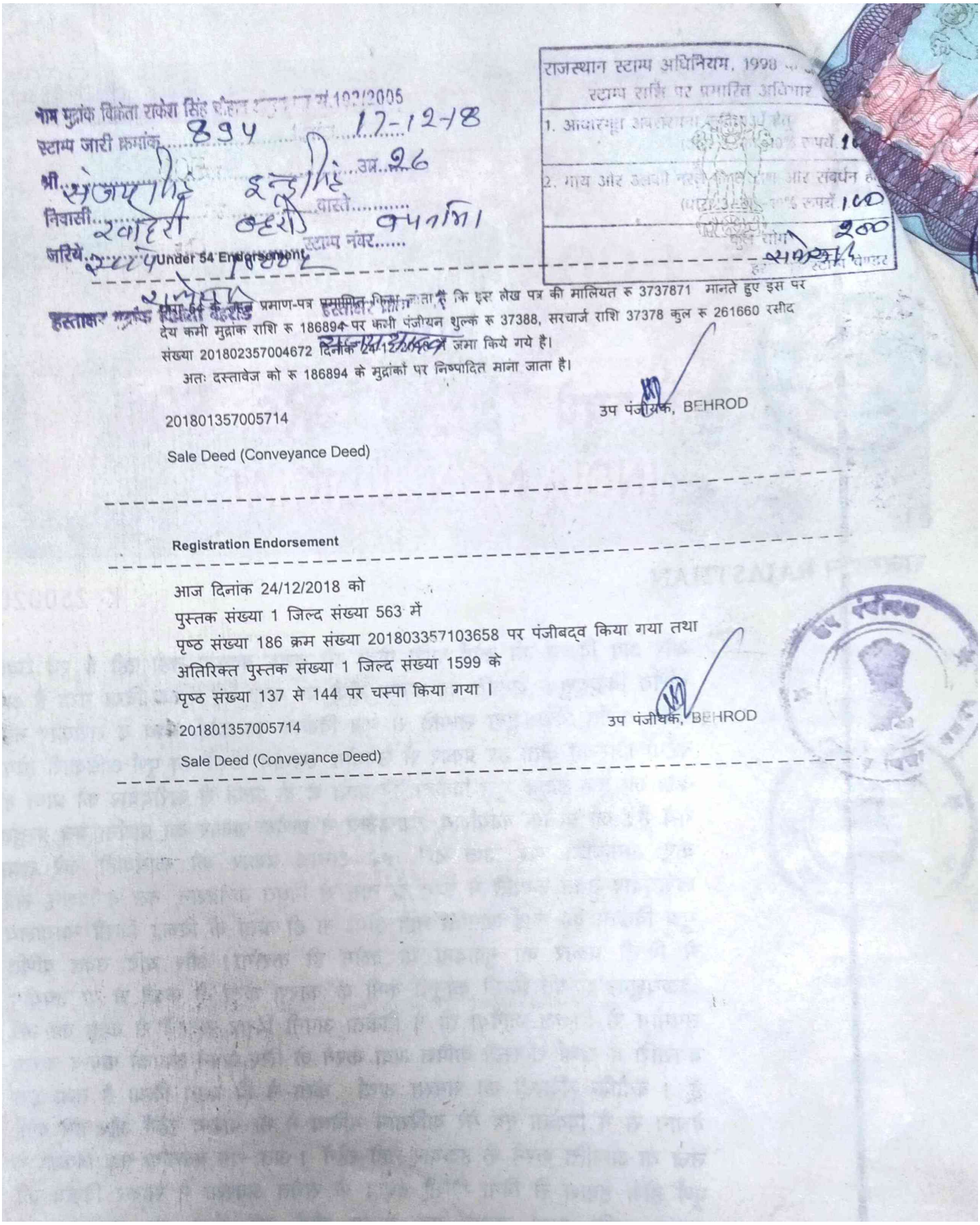


राजस्थान RAJASTHAN

K 280020

और अब विक्रय की कोई राशि केता की तरफ बकाया नही रही है एवं उक्त वर्णित विक्रयशुदा सम्पति का कब्जा मौके पर केता का करवा दिया गया है अब उक्त वर्णित विक्रयशुदा सम्पति से मुझ विकेता का कोई संबध व सरोकार नही रहेगा जिसको केता हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकारी होगा और जो हक हकूक मुझ विकेता को प्राप्त थे वो आज से खरीद्दार को प्राप्त हो गये है। जो प्रत्येक कार्यालय, न्यायालय मे प्रत्येक प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें, अनापत्ति पत्र प्राप्त करें तथा अन्यत्र प्रकार की कार्यवाही करें तथा खरीद्दार उक्त सम्पति मे स्वंय के नाम से विधुत कनैक्शन, नल कनैक्शन, लेवे मुझ विकेता को कोई आपत्ति नही होगी ना ही केता के विरूद्व किसी न्यायालय मे किसी प्रकार का मुकदमा या क्लेम ही करूंगा। और यदि उक्त वर्णित विक्रयशुदा सम्पति किसी कानूनी कमी के कारण केता के कब्जे से या उपयोग उपभोग से निकल जावेगा तो मै विकेता अपनी दिगर सम्पति से केता को जर्रे बयराशि व खर्चा रजिस्ट्री वापिस अदा करने के लिए अपने आपको पाबन्द करता हूँ । क्योकि रजिस्ट्री का समस्त खर्चा केता ने ही वहन किया है तथा इस बेचान से मै विकेता एवं मेरे वारिसान भविष्य मे भी पाबन्द रहेगें और हम कोई उज्र या आपत्ति करने के हकदार नही रहेगें । अतः यह बयनामा मुझ विकेता ने पूर्ण होश हवाश से बिना किसी दबाब के सचेत अवस्था मे रहकर विक्रय की चुकता राशि प्राप्त करके एवं कब्जा मौके पर केता का करवाकर मु. 5,000/–रुपये के 5 किता स्टाम्पों पर लिखवा दिया की सनद रहे और समय पर काम आवे इस बयनामा मे लाईन ७५ व शब्द ४५० है । बकलम महेश कुमार

Internal



राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998
स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार
1. आवारभूत
2. गाय और उसकी नस्ल
रुपये 100
रुपये 200

नाम मुद्रांक विक्रेता राकेश सिंह
स्टाम्प जारी क्रमांक 894 17-12-18
श्री संजय सिंह इन्दु सिंह उम्र 26
निवासी खेड़ी बेहरोड़ पचगांव
जरिये स्टाम्प नंबर

Under 54 Endorsement

हस्ताक्षर

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 3737871 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 186894 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 37388, सरचार्ज राशि 37378 कुल रु 261660 रसीद संख्या 201802357004672 दिनांक 24/12/2018 को जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 186894 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

उप पंजीयक, BEHROD

201801357005714

Sale Deed (Conveyance Deed)

Registration Endorsement

आज दिनांक 24/12/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 563 में
पृष्ठ संख्या 186 क्रम संख्या 201803357103658 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1599 के
पृष्ठ संख्या 137 से 144 पर चस्पा किया गया ।

उप पंजीयक, BEHROD

201801357005714

Sale Deed (Conveyance Deed)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

K 280019

37 पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1199 के पृष्ठ संख्या 158 से 162 पर चस्पा किया गया है । इस प्रकार उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का मै प्रथम पक्षकार मालिक व स्वामी हूँ एवं मौके पर मेरा ही कब्जा है जो हर प्रकार के भार से मुक्त है एवं दिगर जगह रहन, बय,हिब्बा या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही है। तथा ना ही उक्त वर्णित भूखण्ड पर किसी सरकारी या अर्द्व सरकारी विभाग या वित्तीय संस्था का कोई ऋण ही है । जिसको बेचान करने का मुझ प्रथम पक्ष को पूरा–पूरा हक व अधिकार प्राप्त है। चूँकि अब मुझ विकेता प्रथम पक्ष को घर खर्च के लिए आर्थिक जरूरत होने के कारण मैने अपने उक्त वर्णित भूखण्ड सख्या ए–43 जिसको संलग्न नक्शा मे बरंग सुर्ख से दिखाया गया है। जिसको मय नींव,सींव, छत सहित के राशि 25,00,000/– पच्चीस लाख रुपये में मैसर्स साहिल ट्रेडिंग कम्पनी– गौण मण्डी यार्ड बहरोड जिला अलवर (राज.) द्वारा प्रोपराईटर– संजय सिंह उम्र 26 साल पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी खोहरी तहसील बहरोड जिला अलवर (राज.) को बेचान कर दिया है तथा बेचान की चुकता राशि मुझ विकेता ने केता से इस प्रकार प्राप्त की है कि राशि 10,00,000/– रुपये का चैक नम्बर 031553 दिनांक 18.12.2018 आईसीआईसीआई बैंक शाखा बहरोड एवं राशि 8,00,000/– रुपये का चैक नम्बर 031554 दिनांक 18.12.2018 आईसीआईसीआई बैंक शाखा बहरोड एवं राशि 7,00,000/– रुपये का चैक नम्बर 031555 दिनांक 18.12.2018 आईसीआईसीआई बैंक शाखा बहरोड के जारी मैने केता से प्राप्त कर लिये है । 49

Internal

नाम मुंशी जितेन्द्र राजेश सिंह चौहान अनुज्ञप्ति सं. 102/2005

स्टाम्प जारी क्रमांक 494 दिनांक 17-12-18

श्री [illegible] पुत्र [illegible] उम्र 26

निवासी [illegible] वर्तमान

जरिये [illegible] स्टाम्प नंबर [illegible]

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा [illegible] के अन्तर्गत अधिकार

स्टाम्प शुल्क पर प्रभारित अधिकार

1. आधारभूत [illegible] 100

2. गाम [illegible] हेतु 100

200

[illegible] बोर्डर

Endorsement of Execution

हस्ताक्षर मुंशी जितेन्द्र राजेश सिंह हस्ताक्षर क्रेता

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री M/S KHEMCHAND/KHEMCHAND COM./KHEMCHAND, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GULJARILAL, व्यवसाय Businessजाति MAHAJAN House No.:NA, Colony: NA, Area: SHAHJAHANPUR, City: NEEMRANA, Pin code: 301706, District: ALWAR, State: RAJASTHAN			Presenter Age : 53 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री M/S SAHIL TREADING COM./SANJAY SINGH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री INDER SINGH, व्यवसाय Businessजाति AHIR House No.:NA, Colony: NA, Area: KHOHARI, City: BEHROR, Pin code: 301713, District: ALWAR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 26 Signature

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 2500000/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 2500000/- पूर्व में ---------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री KRISHAN YADAV, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री TOTARAM जाति AHIR Age: 32 Add: House No..NA, Colony: NA, Area: KHOHARI, City: BEHROR, Pin code: 301713, District: ALWAR, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री HANUMAN SINGH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री PHOOLSINGH जाति AHIR Age: 51 Add: House No.:NA, Colony: NA, Area: KHAPARIYA, City: BEHROR, Pin code: 301701, District: ALWAR, State: RAJASTHAN			Signature

201801357005714

उप पंजीयक, BEHROD

Sale Deed (Conveyance Deed)

Internal



राजस्थान RAJASTHAN

K 280018

13 प्रथम फ्लोर का निर्माण कर रखा है जिसमे ग्राउण्ड फ्लोर कवर्ड एरिया 433.12 वर्ग फुट, 48.12 वर्ग गज, 40.24 वर्ग मीटर है एवं प्रथम फ्लोर कवर्ड एरिया 291.37 वर्ग फुट, 32.37 वर्ग गज, 27.06 वर्ग मीटर है का बेचान किया गया है । उपरोक्त भूखण्ड की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नही है व ना ही कोई स्थगन आदेश लागू है । यह भुखण्ड **कृषि उपज मण्डी– बहरोड** मे स्थित है। जिसका नक्शा संलग्न है ।

जो कि उपरोक्त वर्णित गौण मण्डी यार्ड बहरोड जिला अलवर (राज.) मे एक किता दुकान वाणिज्यिक भुखण्ड सख्या ए–43,ब्लाक संख्या ए,साईज 15 फुट 9 इंच X 47 फुट 6 इंच है । जो भूखण्ड सिरे पूर्व 15 फुट 9 इंच, सिरे पश्चिम 15 फुट 9 इंच, सिरे उत्तर 47 फुट 6 इंच, सिरे दक्षिण 47 फुट 6 इंच है जिसका कुल क्षेत्रफल 748.125 वर्ग फुट अर्थात 83.12 वर्ग गज, है। जिसके तरफ पूर्व मे रोड 40 फुट चोडा, तरफ पश्चिम मे रोड 60 फुट चोडा, तरफ उत्तर मे भुखण्ड संख्या ए–44 खण्डेलवाल उधोग, तरफ दक्षिण मे भूखण्ड संख्या ए–42 अनुष्का ट्रेडिंग कम्पनी है । उपरोक्त वर्णित भुखण्ड का 99 वर्षीय पट्टा विलेख दिनांक 31.07.2013 को कृषि उपज मण्डी समिति– खैरथल ने प्रथम पक्ष के नाम से जारी किया गया है जिस पटटा विलेख का रजिस्ट्रेशन भी कार्यालय उप पंजियक बहरोड से दिनांक 30.10.2013 को पुस्तक 20 संख्या 1 जिल्द संख्या 463 में पृष्ठ संख्या 182 कम संख्या 2013005708 पर

Internal

नाम मुद्रक विक्रेता राकेश सिंह चौहान [illegible] सं.192/2005

स्टाम्प जारी क्रमांक 894 दिनांक 12-12-18

श्री श्रेयांश सिंह इन्द्र सिंह उम्र 26

निवासी खादरी कलाँ तहसील व पचनामा

जरिये स्टाम्प वेण्डर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के [illegible] स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार	
1. आधारभूत अवसंरचना [illegible]	100
2. गांव और शहरी सड़क के [illegible]	100
	200

Presentation Endorsement

आज दिनांक 24 माह 12 सन् 2018 को 03:52 PM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री M/S KHEMCHAND AND COM./KHEMCHAND

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GULJARILAL

उम्र 53 वर्ष, जाति MAHAJAN , व्यवसाय Business

निवासी House No.:NA, Colony: NA, Area: SHAHJAHANPUR, City: NEEMRANA, Pin code: 301706, District: ALWAR, State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

201801357005714

Sale Deed (Conveyance Deed)

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
BEHROD

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802357004672
दिनांक	24-12-2018
पंजीयन शुल्क ₹	37388
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	186894
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	37378
कुल योग	261960

201801357005714

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, BEHROD

Internal

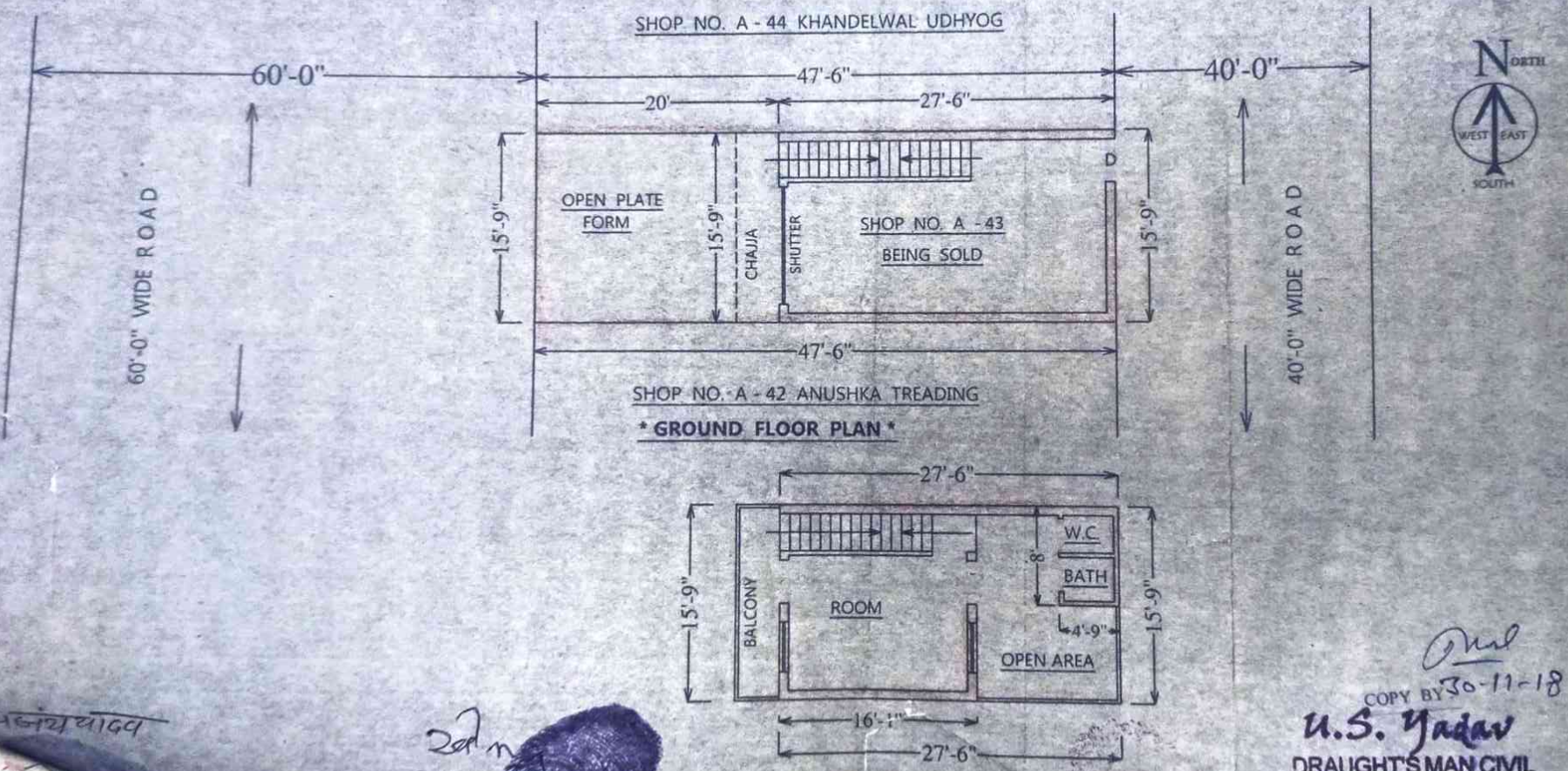
MAP OF THE **SHOP NO. A - 43** (SHOWN AS RED) SITUATED AT' KRISHI UPAJ MANDI GOAN YARD , ALWAR ROAD , BEHROR TEH. BEHROR DISTT. ALWAR (RAJ.)

BEING SOLD BY :- **M/S KHEMCHAND & COMANY** BEHROR - PROP :- **SH. KHEM CHAND** S/o SH. GULJARI LAL MAHAJAN R/o **SHAHJAHANPUR** TEH. NEEMRANA DISTT. ALWAR

INFAVOUR OF :- **M/S SAHIL TREADING COMPANY** - PROP :- **SH. SANJAY SINGH** S/o SH. INDER SINGH YADAV R/o VILLAGE :- **KHOHARI** TEH. BEHROR DISTT. ALWAR

AREA DETAIL

GROUND FLOOR BUILDING COVERED AREA :-	(27'-6"x15'-9")	=	433.12	sqft.	=	**48.12 sqyds.**	= 40.24 sqm.
FIRST FLOOR BUILDING COVERED AREA :-		=	291.37	sqft.	=	**32.37 sqyds.**	= 27.06 sqm.
OPEN PLATE FORM AREA :-	(20'-0"x15'-9")	=	315.00	sqft.	=	**35.00 sqyds.**	= 29.26 sqm.
TOTAL PLOT AREA :-	(47'-6"x15'-9")	=	748.125	sqft.	=	**83.12 sqyds.**	= 69.50 sqm.



COPY BY 30-11-18

U.S. Yadav

DRAUGHT'S MAN CIVIL

BEHROR (ALWAR) RAJ.

Internal

17

कृषि विपणन राजस्थान

कार्यालय
कृषि उपज मंडी समिति "विशिष्ट श्रेणी" खैरथल
Email: kums.khairth@rajasthan.gov.in

TEL.NO.
01480–222112

क्रमांक :– 2472-75 दिनांक :– 28/11/18

1. **मैसर्स खेमचन्द एण्ड कम्पनी**
 गौण मण्डी यार्ड, बहरोड
2. **मैसर्स साहिल ट्रैडिंग कम्पनी**
 गौण मण्डी यार्ड, बहरोड

विषय :– मै0 खेमचन्द एण्ड कम्पनी, बहरोड को आवंटित दुकान नं. ए –43 को मैसर्स साहिल ट्रैडिंग कम्पनी, बहरोड के नाम परिवर्तन की स्वीकृति हेतु अनापत्ती पत्र (NOC) बाबत।

उपरोक्त विषायान्तर्गत आप द्वारा दुकान नं. ए–43 का हस्तान्तरण की स्वीकृति चाही गई है। अतः मण्डी समिति के प्रस्ताव संख्या 132 दिनांक 05.10.2018 की स्वीकृति उपरान्त एवं दुकान ए–43 का परिवर्तन शुल्क जमा होने के उपरान्त **मै0 खेमचन्द एण्ड कम्पनी, बहरोड** का अनुज्ञापत्र संख्या 571 दिनांक 24.03.2008. निरस्त कर दुकान संख्या ए–43 को **मैसर्स साहिल ट्रैडिंग कम्पनी, बहरोड** जो मण्डी समिति खैरथल की अनुज्ञापत्रधारी फर्म है, को शेष अवधी की लीज डीड हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(रामविलास यादव)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
"विशिष्ट श्रेणी" खैरथल
दिनांक :–

क्रमांक :–
प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान पंजीयक, पंजीयक कार्यालय बहरोड को देकर लेख है कि दुकान संख्या ए –43 का पंजीयन **मैसर्स साहिल ट्रैडिंग कम्पनी, बहरोड** के पक्ष में करने का श्रम करे।
2. **मैसर्स साहिल ट्रैडिंग कम्पनी, बहरोड** देकर लेख है कि भूखण्ड ए–43 का पंजीयन पश्चात पंजीयन की एक प्रति कार्यालय में 500/– रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र सहित प्रस्तुत करे ताकि रिकार्ड में दर्ज किया जा सके।

–sd–
(रामविलास यादव)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
"विशिष्ट श्रेणी" खैरथल

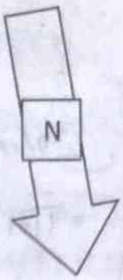
कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति ''विशिष्ठ श्रेणी'' खैरथल, अलवर

स्थित — धान्य मण्डी यार्ड, बहरोड

भूखण्ड संख्या :- ए-43

भूखण्ड साईज :- 15'9" X 47'6" क्षेत्रफल :- 748.125 वर्गफुट

फर्म का नाम :- खेमचन्द एण्ड कम्पनी, बहरोड



Note -Not to scale

	A42 SHOP CUM GODOWN WITH PLATE FORM		
ROAD 40'	A 43 SHOP CUM GODOWN 15'9" X 27'6"	A43 PLATEFORM 15'9" X 20'	ROAD 60'
	A44 SHOP CUM GODOWN WITH PLATE FORM		

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
विशिष्ठ श्रेणी, खैरथल

उप पंजीयक, बहरोड़
जिला- अलवर (राज.)

Internal

दुकान न. A-43 को m/s साहिल ट्रेडिंग कम्पनी वहरोड़ के नाम दर्ज लिया गया है।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
"विशिष्ट श्रेणी" खैरथल (अलवर)

(4)

ालय कृषि उपज मण्डी समिति ''अ'' श्रेणी खैरथल (अलवर)

प्ररूप संख्या VIII

स्थायी अनुज्ञप्ति

(राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम 1963 के नियम 69/72 के अधीन मंजूर)

यी अनुज्ञप्ति संख्या.....665.....

दिनांक..03/01/2019

सर्स नाम साहिल ट्रेडिंग कम्पनी पता दुकान न-43, गौण मण्डी थाड़ी बहरोड़ को राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 के नियम 69/72 के अधीन, इसके नीच उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों पर कृषि उपज का व्यापार करने के लिए व्यापारी/~~''क'' वर्ग दलाल/ ''ख'' वर्ग दलाल~~/संयुक्त व्यापारी/~~''क'' वर्ग दलाल/तोलने वाले/मापने वाले/सर्वेक्षक/भांडागार कर्मी/फुटकर विक्रेता~~/और अन्य ऑपरेटर के रूप में मण्डी क्षेत्र बहरोड़ में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है।

यह स्थायी अनुज्ञप्ति अनंतरणीय है।

अनुज्ञप्तिधारी की ओर से निम्नलिखित सहायक/प्रतिनिधि कार्य करेंगे।

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	पता
1	श्री संजय सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह	निवासी ग्राम - खोहरी	तह.- बहरोड़ (अलवर)
2	/	/	/
3	/	/	/

सचिव/अध्यक्ष
कृषि उपज मण्डी समिति
कृषि उपज मण्डी समिति 'अ' श्रेणी, खैरथल
खैरथल (अलवर)

स्थायी अनुज्ञप्ति के निबन्धन और शर्तें :-

1. अनुज्ञप्तिधारी राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 और नियमों और उसके अधीन विरचित उप-विधियों के उपबन्धों और समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का अनुपालन करेगा। यह अध्यक्ष या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा या अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग करने पर इस सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारी को दी जाने वाली रसीद के बदले में, स्थायी अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी किसी कृषि उपज में अभिदलनें नहीं करेगा या करवायेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी अपने सहायकों या अभिकर्ताओं के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह व्यापारी या ''क'' वर्ग दलाल है तो विक्रय पर्चियां जारी करेगा, खरीदी गयी या बेची गयी कृषि उपज का अभिलेख रखेगा और उप-विधियों में विनिर्दिष्ट तरीके से प्रत्येक चल स्टाक आवक और जावक का विवरण मण्डी समिति को देगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह व्यापारी या ''ख'' वर्ग दलाल है तो वह, यदि उपज की खरीद या विक्रय उसकी एजेन्सी या उसके द्वारा की गयी हो कृषि उपज की कीमत विक्रेता को उसी दिन संदत्त करेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी अपनी कर्म की भागीदारी में किसी परिवर्तन के होने पर परिवर्तन के एक सप्ताह के भीतर-भीतर मण्डी समिति को सूचित करेगा।
7. अनुज्ञप्तिधारी अपनी स्थायी अनुज्ञप्ति को अपने कारबार परिसर में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
8. अनुज्ञप्तिधारी यदि वह ''ख'' वर्ग दलाल, तोलने वाला, सर्वेक्षक या मापने वाला या अन्य कोई ऑपरेटर है तो किसी व्यापारी या ''क'' वर्ग दलाल का सेवक नहीं होगा और विक्रेताओं और क्रेताओं के अधिकाधिक हित में निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा।
9. यदि कारण बताओ नोटिस जारी होने के पश्चात नियमों/कार्यवाहों का उल्लंघन/अपालन होता है तो मण्डी समिति द्वारा अनुज्ञप्ति का निलम्बन/रद्दकरण किया जा सकता है।

Internal